बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा की कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २९ मार्च, १९५५ को ९ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

तारांकित प्रश्नोत्तर।

Starred Questions and Answers.

पटना जिला पंचायत का कार्यालय।

*१६०१। श्री गिरिवरधारी सिंह—क्या मंत्री, ग्राम पंचायत विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि पटना जिला पंचायत का कार्यालय एक बहुत छोटी-सी कोठरी में है;

(ख) उसी कोठरी में सुपरवाजईर, सदर का भी कार्यालय है;

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या इस कठिनाई को सरकार दूर करने की बात सोचती है?

श्री भोला पासवान—(क) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(ग) जिला पंचायत अधिकारी, पटना को यह आदेश दिया गया है कि वे अपने कार्यालय के लिए अन्यत्र कोई मकान खोजकर सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचित करें।

श्री गिरिवरधारी सिंह—मैं जानना चाहता हूं कि कितना किराया सरकार दे सकती है?

श्री भोला पासवान—जब जिला पंचायत अधिकारी मकान खोज कर हमें सूचित करेंगे तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री गिरिवरधारी सिंह—मेरा पूछना है कि सरकार कहां तक किराया दे सकती है?

अध्यक्ष—सरकार ने कहा है कि जब वे लिखकर भेज देंगे तब उस पर विचार किया जायगा।

श्री भोला पासवान—किराया तो मकान के ऊपर निर्भर करता है।

श्री पुरुषोत्तम चौहान—क्या सरकार को मालूम है कि दुनियां के किसी देश में "गो-स्लो" टैकटिक्स को लिगल स्टेटस नहीं दिया गया है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—दुनियां की बात तो मैं नहीं जानता लेकिन जहां तक मुझे (इनफौरमेशन) खबर प्राप्त है उससे पता चलता है किसी दूसरे राज्य में भी "गो-स्लो" टैकटिक्स को लिगल स्टेटस नहीं दिया गया है।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या यह बात सही है कि सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड में लेबर और मैनेजमेंट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जी हां, सरकार के भी, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—क्या यह बात सही है कि तीनों के एग्रिमेंट से यह तय हुआ कि "गो-स्लो" जायज माना जाय।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जायज मानने की बात नहीं है। "गो-स्लो" जिस तरह से चल रहा है और जिसको लोगों ने कबूल किया है उसका ट्रायल दो वर्ष तक किया जाय, यही लेबर ऐडवाइजरी बोर्ड ने तय किया है।

श्री केदार पांडे—क्या सरकार को मालूम है कि जब "गो-स्लो" का रिजोल्यूशन नहीं था इसके पहले सूबे बिहार में "स्लो-डाउन" हुआ करता था।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जी हां, इसी से यह रिजोल्यूशन करने की जरूरत पड़ी।

श्री केदार पांडे—क्या यह बात सही है कि जब "गो-स्लो" का रिजोल्यूशन हुआ तो "स्लो-डाउन" बहुत कम हो गया।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—जी हां, हुआ भी तो दो-एक रोज से ज्यादा नहीं रहा।

DRILLING OF TUBE-WELLS.

*1635. **Shri JADUNANDAN SAHAI**: Will the Minister, in charge of the Agriculture Department, be pleased to state—

(*a*) whether four-inch-pipe tube-wells can be drilled by Government on the payment of half cost of tube-wells by the agriculturist concerned on Government responsibility as to the success of drilling of the tube-wells in rural areas of Samastipur Police-Station;

(*b*) if the answer to clause (*a*) be in the affirmative, whether electric energy can be made available for its working for Samastipur Power House ?

Dr. ANUGRAH NARAYAN SINHA : (*a*) The Agriculture Department can take up installation of tube wells of different sizes up to 12" diameter and Government will allow 50 per cent as subsidies to the Agriculturists who apply for them and complete certain formalities required under rules. But no guarantee as to the success of the tube-well in the area can be given because success of a tube well depends on tapping suitable water bearing sturata.

(*b*) Supply can be made available to the tube wells falling within the reach of the transmission line provided the scheme is technically and financially justified.

अध्यक्ष—फेलियर में भी ५० प्रतिशत सरकार देती है या नहीं ?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—फेलियर के लिये सरकार जिम्मेवार नहीं होती है। जहां अपने मन से सरकार गाड़ेगी वहां सारा खर्च सरकार देती है। लेकिन जहां किसी पार्टी के कहने पर गाड़ती है उस हालत में सरकार पर ओबजेलीगेशन नहीं रहती है, पार्टी के ऊपर ओबलीगेशन रहती है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अगर असफल हुआ तो सरकार आधा खर्च देती है या नहीं ?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—अगर किसी पार्टी की दरखास्त पर ट्युबवेल गाड़ा जायगा तो उसका खर्च पार्टी को बेयर करना पड़ता है। लेकिन जहां पर सरकार अपने इनीशियेटिव पर गाड़ती है तो उसका सारा खर्च सरकार के ऊपर रहता है।

श्री हृदय नारायण चौधरी—अगर पार्टी की दरखास्त पर गाड़ेगी तो उसमें सरकार कितना खर्च देगी। इसमें सरकार आधा खर्च देगी या नहीं ?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—आधे का हिसाब नहीं रहता है। जब पार्टी दरखास्त देती है तो उसको रुपया डिपौजिट कर देना पड़ता है। उसके बाद लेबर का सारा खर्च सरकार अपने ऊपर लेती है। पाइप मेशीन सरकार अपना ले जाती है। उसका चार्ज सरकार नहीं लेती है।

श्री जयनारायण झा विनीत—क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं है कि जिस तरह से दूसरी योजना में सरकार आधा खर्च देती है उसी तरह से इसके लिये भी सरकार आधा खर्च दे ?

अध्यक्ष—यह जो सरकार का जवाब है वह असफल होने पर की बात है। जब सफल हो जायगी तब तो आधा देती ही है।

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—सरकार जब अपने इनिशियेटिव पर गाड़ेगी तब आपको खर्च नहीं देना पड़ेगा। जब किसी पार्टी की दरखास्त पर गाड़ेगी और सफल हुआ तब आधा खर्च सरकार देगी। अगर सफल नहीं हुआ तब पार्टी को खर्च (वेयर) सहन करना पड़ेगा। लेकिन सरकार पाइप और मेशीनरी का खर्च नहीं लेती है।

श्री जयनारायण झा विनीत—पाइप में सरकार का क्या (सेयर) हिस्सा रहेगा?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—पाइप में अगर (फेलियर) असफल होगा तो सरकार वापस कर लेगी और अगर आप रख लेंगे तो आपको (कौस्ट) मूल्य देना पड़ेगा।

अध्यक्ष—ट्यूब वेल जो गाड़ा गया है, वह असफल होने से सरकार पाइप निकाल लेगी। अगर आप पाइप रक्खेंगे तो आपको खरीदने का मूल्य देना होगा।

'बूनियादी सामग्री पर' तथा 'गृह उद्योग-भंडार' के विरूद्ध कार्रवाई।

*१६४१। श्री जगलाल महतो—क्या मंत्री, वित्त (वाणिज्य-कर) विभाग, सितम्बर-अक्तूबर, १९५४ के सत्र में पूछी गयी अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २३८ और वर्त्तमान सत्र में पूछी गयी तारांकित प्रश्न संख्या ७४ के उत्तर को ध्यान में रखते हुये, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(क) उक्त कार्रवाई (अर्थात् गया के 'बूनियादी सामग्री घर' तथा 'गृह-उद्योग भंडार के जो दो फर्म के विरूद्ध बिक्री-कर कानून की धारा १३, उप-धारा (५) के अन्तर्गत हो रही थी) में अब तक कितनी प्रगति हुयी;

(ख) क्या यह बात सही है कि श्री रमाबल्लभ शरण सिंह, ठीकेदार, गया जिला परिषद् के घर पर उपरोक्त दोनों फर्मों (बूनियादी सामग्री-घर और गृह-उद्योग भंडार) की केवल साइन बोर्ड ही टांगी गयी है और वस्तुतः बिक्री के लिये उनमें कोई सामान नहीं है;

(ग) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों फर्मों ने आज तक गया जिला परिषद् के अतिरिक्त और किसी अन्य ग्राहक के हाथ माल कभी नहीं बेचा;

(घ) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त दोनों फर्मों का अस्तित्व गया जिला परिषद् के हाथ सामग्रियां बेचने के पहले नहीं था और उसके बाद भी नहीं है?

डा० अनुग्रह नारायण सिंह—(क) कर निर्धारण की कार्रवाई अभी तक जारी है, क्योंकि आवश्यक जांच-पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई है।

(ख) इस खंड के प्रथमांक का उत्तर स्वीकारात्मक है। अन्तिम अंश का ठीक समाचार ज्ञात नहीं है।

(ग) न तो इसका पूरा पता मिला है, और मिलने पर भी, बिहार बिक्रय कर कानून के धारा ३० (१) के अन्तर्गत इस तरह का समाचार देना निषेध है।

(घ) खंड (ग) के उत्तर के दृष्टिकोण से यह प्रश्न नहीं उठता।